195

न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल सदस्य ग्वालियर कैम्प सागर

R-1882-II/13

मुन्ना लाल तनय बाबूलाल यादव
निवासी कृष्णगंज वार्ड जिला सागर
हाल निवास मनोरमा कालोनी सागर -रिवीजनकर्ता

//विरूद्ध//

1• यशवंत सिंह पिता श्री बलवंत सिंह
निवासी 40 केन्ट सागर म•प्र•
2• चन्द्रलेखा पुत्री राजेन्द्र सिंह पवार
निवासी पथरिया जाट तह0. जिला सागर - अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•सं• 1959

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्न रिवीजन प्रस्तुत है :-

*• निम्न न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला सागर की न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्र•क्र•64अ/12 वर्ष 10-11 आदेश दिनांक 15•3•2013 पक्षकार यशवंत सिंह विरूद्ध मुन्ना लाल व अन्य एक में पारित आदेश से दुखित होकर निम्न लिखित गुण दोषों के आधार पर रिवीजनकर्ता अपना यह रिवीजन पेश करता है :-

1• यह कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15•3•2013 को जो विधि सम्मत ना होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

2• यह कि रिवीजनकर्ता के नाम से मौजा सिरोंजा पट•ह• नं• 74 तह0 जिला सागर मे स्थित भूमि खं• 20 रकबा 0•64 हेक्टे• कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे स्थित है जिसका सीमांकन कराये जाने बावत आवेदन पत्र तहसीलदार न्यायालय सागर की न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसके आधार पर विधिवत राजस्व न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश के आधार पर रिवीजनकर्ता की भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1882–दो/2012 जिला सागर

मुन्नालाल विरूद्ध यशवंत सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 64 /अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 08/3/19	